रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 मार्च, 1983/28 फाल्गुन, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम तथा रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 मार्च, 1983

संख्या 8-17/81-एल०ई०पी०.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अध्ययन सहित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट सड़क तथा भवन निर्माण, पत्थर तुड़ान तथा पत्थर फुटान के नियोजनों

में नियोजित अर्ध कुशल तथा कुशल कर्मचारी मजदूर वर्गों को देय अनुसूची के स्तम्भ (2) और (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों के संशोधन का निम्नलिखित कुछ इलाकों में प्रत्येक के आगे दिखाई गई राशि की बढ़ौतरी का राज्य सरकार का प्रस्ताव, उसमें सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा अपेक्षित है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कथित प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 2 महीने के अवसान पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों जो श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 द्वारा प्राप्त किये जाएंगे पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

अनुसूची

कर्मचारी का वर्ग 1	दैनिक वेतन 2	मासिक वेतन 3
कुशल मजदूर :		
1. कारपैंटर ग्रेड-I	14.55	436.50
2. कारपैंटर ग्रेड-II	10.55	316.50
3. मैसन ग्रेड-I	13.20	396.00
4. मैसन ग्रेड-II	10.55	316.50
5. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-I	14.55	436.50
6. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II	10.55	316.50
7. बीक मोल्डर	9.25	277.50
8. सैनटरी फिटर ग्रेड-I	11.90	357.00
9. सनेटरी फिटर ग्रेड-4	9.85	295.50
10. ड्राइवर एयर कम्परैशर, रोड रोलर इत्यादि	10.55	316.50
11. क्लीनर ट्रैक्टर/रोड रोलर/कन्करीट मिक्सचर इत्यादि	8.55	256.50
12. गाईनर	10.55	316.50
13. पैण्टर	10.55	316.55
14. वैलडर	10.60	318.00
15. मकनिक	10.95	328.50
16. स्प्रेमैन (रोड्स)	10.55	316.50
17. क्रेनमैन	10.55	316.50
18. वधानी	10.55	316.50
19. अपहौल्सटर-I	13.20	396.00
20. अपहौल्सटर-II	10.55	316.50
21. सर्वेयर्स	14.55	436.50
22. फिल्टर राउैण्ट	10.55	316.50
23. पम्प आपरेटर	14.55	436.50
1. स्टोन ब्रेकर/रौक स्टोन ब्रेकर/स्टोन कैरीयर	64.10	100 घन फुट
अडल्ट स्किल्ड मेल वर्कर्ज	69.55	100 घन फुट
फिमेल वर्कर्ज	79.80	100 घन फुट

1	2	3
2. क्लरिकल स्टाफ तथा नान-टैक्नीकल सुपरवाइजरी स्टाफ:		
1. नान-मैट्रिकुलट्स	251.25	मासिक
2. मैट्रिकुलेट्स	304.40	मासिक

राज्य सरकार के निम्नलिखित इलाकों में प्रत्येक के आगे दिखाई गई राशि की बढ़ौतरी के प्रस्ताव को भी प्रकाशित किया जाता है :—

जगह का नाम :	
1. ज़िला लाहौल-स्पिति, किन्नौर, तहसील भरमौर तथा तहसील पांगी, ज़िला चम्बा 2. मलाना ग्राम पंचायत, ज़िला कुल्लू 3. डोडरा-क्वार, तहसील रोहड़ू, ज़िला शिमला 4. चौहर वैली, तहसील जोगिन्द्रनगर, ज़िला मण्डी 5. बड़ा भंगाल, तहसील पालमपुर, ज़िला कांगड़ा	25 प्रतिशत
1. तहसील रामपुर तथा चौपाल, ज़िला शिमला 2. तहसील आनी तथा निरमण्ड, ज़िला कुल्लू 3. मांगल पंचायत, ज़िला सोलन 4. चवासी इलाका, तहसील करसोग, ज़िला मण्डी 5. गरवी देहात तथा बटवारा, तहसील सुन्दरनगर, ज़िला मण्डी 6. छोटा भंगाल, तहसील पालमपुर, ज़िला कांगड़ा	20 प्रतिशत
1. तहसील रोहड़ू, ज़िला शिमला (डोडरा-क्वार को छोड़ कर) 2. सब-तहसील शिलाई, तहसील रेणुका, ज़िला सिरमौर 3. तहसील चुराह, ज़िला चम्बा 4. कुट पंचायत तथा परगना वैल्ज, ज़िला चम्बा 5. मनाली तथा चूहजी पार्वती तथा लाग, बनजार ब्लाक, कुल्लू, ज़िला कुल्लू 6. झंझाली ब्लाक, तहसील चच्योट, ज़िला मण्डी 7. तहसील करसोग, ज़िला मण्डी (चवासी इलाका को छोड़ कर)	12½ प्रतिशत

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 मार्च, 1983

संख्या 5-22/69-III-परिवहन.—हिमाचल प्रदेश में यथा प्रयोजित पंजाब मोटर यान नियम, 1940 में और आगे संशोधन करने हेतु मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त नियम में निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 133 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इस से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

2. प्रारूपित संशोधन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां या सुझाव, इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से 30 दिन की अवधि के भीतर सचिव महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग, शिमला-2 को भेज सकता है जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूपित संशोधन सहित उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

DRAFT AMENDMENT

1. These rules may be called the Punjab Motor Vehicles (Himachal Pradesh First Amendment), Rules, 1983.

2. In the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, in their application to Himachal Pradesh, for sub-rule (1) of rule 4 of Chapter 2, the following sub-rule (1) of rule 4, of Chapter 2 shall be substituted, namely:—

> "4. (1) The test for competenee to drive as set forth in the Third Schedule to the Act shall be conducted in the case of an application for licence to drive a vehicle other than scooter and motor cycle by an experienced motor mechanic appointed by the State Government to serve on the Board of Inspection for the area in which application is made; in the case of scooter and motor cycles by a police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police who is proficient in driving and is fully conversant with the traffic rules and is authorised by the Superintendent of Police of the area in this behalf".

आर० के० आनन्द,
कमिश्नर-कम-सचिव (परिवहन)।

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 1 मार्च, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4)-9/77.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 में आगे संशोधन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 18 और धारा 60 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त नियमों में निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 163(2) द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं।

प्रारूपित संशोधन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अपने आक्षेप और सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने से 30 दिन की अवधि के भीतर सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, शिमला-2 को भेज सकता है जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूपित संशोधन सहित, उक्त अवधि के समापन के पश्चात विचार किया जाएगा।

DRAFT AMENDMENT

1. These rules may be called the Himachal Pradesh Gram Panchayat (First Amendment) Rules, 1983.

2. In Chapter IV of the Himachal Pradesh Gram Panchayat Rules, 1971 (hereinafter called the said rules),—

(*i*) for the existing rule 44, the following rule 44 shall be substituted, namely :—

"44. *Registration of marriages* [*section* 18 (2) (*g*) *of the Act*]—Gram Panchayat shall undertake registration of marriages and shall maintain a register in Form IV." ;

(*ii*) for the existing rule 45 of the said rules, the following rule 45 shall be substituted, namely :—

"45. The head of the family or in his absence any other member thereof shall report marriage occurring in his family within twenty days of the occurrence to the Secretary or Pradhan or Up-Pradhan of the Gram Panchayat concerned and the person receiving the report shall issue a receipt of the same to the reporter. Any person who fails without sufficient cause to make a report under this rule shall be punishable by Gram Panchayat with a fine, which may extend to rupee one for everyday of non-compliance subject to maximum of rupees five.";

(*iii*) the existing rule 46 of the said rules shall be deleted ;

(*iv*) the existing Form III prescribed under the said rules shall be deleted;

(*v*) in the existing Form IV appended to the said rules, the figure and sign "(3)" occurring in between the figure "44" and sign ".]" shall be omitted.

शिमला–2, 2 मार्च, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० बी० (2) 5/79.–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पंचायती राज विभाग में उप-निदेशक, पंचायती राज प्रथम श्रेणी राजपत्रित के पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम इस अधिसूचना से संलग्न 'परिशिष्ट–क' के अनुसार सहर्ष बनाते हैं।

ये नियम हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होंगे।

परिशिष्ट–क

हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग में उप-निदेशक पद के भर्ती तथा पदोन्नति नियम

1. पद का नाम	उप-निदेशक, पंचायती राज।
2. पदों की संख्या	एक।
3. पदों का वर्गीकरण	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)।
4. वेतन मान	1200-50-1400/60-1700-75-1850.
5. क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण पद।	प्रवरण पद।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सीधी भर्ती के लिए समय समय पर विहित किया जाये।
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हतायें।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या इसके तुल्य अथवा जैसे कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सीधी भर्ती के लिए विहित किया जाये।

8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शक्षणिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्तियों की स्थिति में भी प्रयोज्य होगी।	नहीं ।
9. परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष तथा ऐसी अवधि, जो कि एक वर्ष से अधिक न हो, के लिए आगामी विस्तार के अध्याधीन जैसी कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण रिकार्ड कर आदिष्ट किया जाए।
10. भर्ती का ढंग—सीधी भर्ती द्वारा, अथवा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने की अवस्था में वह वेतन क्रम जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	सहायक निदेशक पंचायत (वर्ग दो) में से पदोन्नति द्वारा जो उक्त पद पर कम से कम तीन वर्ष का नियमित या तदर्थ सेवा काल या दोनों रखता हो और जिला पंचायत अधिकारी (वर्ग दो) तथा प्राचार्य पंचायत प्रशिक्षण संस्थान (वर्ग दो) में से पदोन्नति द्वारा जो कि उक्त पदों पर कम से कम पांच वर्ष का नियमित या तदर्थ सेवाकाल या दोनों रखता हो। (बशर्ते कि पदोन्नति के उद्देश्य से जिला पंचायत अधिकारियों तथा प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की वरिष्टता सूची बनाई जायगी जो कि उक्त पदों पर नियमित सेवा काल पर आधारित होगी तथा पात्र सहायक निदेशक, पंचायत को वरिष्टता सूची में सबसे ऊपर रखा जायेगा)।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना।	विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अथवा इस द्वारा मनोनीत इसके किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। जैसा कि विधि अधीन अपेक्षित है।
13. परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है।	

पाद टिप्पणियां:

(1) उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह ज़रूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो :—

(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले, भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, यूगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और ज़न्ज़ीबार, ज़ांबिया, मालवी, ज़ेयर तथा इथोपिया से भारत म स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो। उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जाएगा जिसका भारत सरकार/ राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

(च) प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की

आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

(3) जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

(4) जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

(5) ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बद्ध वर्ग से उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, ऐसे विचार के लिए पात्र माने जाएंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिए विचाराधीन हों, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिए अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हों, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

(6) शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें से पहले अन्तर्लयन सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र के निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

(7) उक्त सेवा में नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

(8) विभागीय परीक्षा:—सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1976 के अन्तर्गत निर्धारित विभागीय परीक्षा परिवीक्षा अवधि के भीतर या इन नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्ष के भीतर (जो भी बाद में हो) पास करनी अनिवार्य होगी अन्यथा उक्त सदस्य निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा :—

(अ) आगामी देय दक्षतावरोध पार करने के लिए;
(ब) सेवा में स्थाईकरण हेतु; और
(स) अगली उच्च पद पर पदोन्नति के लिये :

उपबन्धित है कि यदि सदस्य अन्यथा पदोन्नति के लिये ऊपरलिखित अवधि के भीतर योग्य हो जाये तो उसे पदोन्नति के लिये विचार में रखा जायेगा और यदि योग्य पाया जावे तो उसे अस्थाई रूप से पदोन्नत किया जायेगा और उसे इस उपबन्ध के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा पास करनी होगी यदि वह उक्त परीक्षा पास नहीं करता है तो उसकी पद अवनति की जायेगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी ने इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण या आंशिक रूप से विभागीय परीक्षा पास की हो तो उसे सम्पूर्ण या आंशिक रूप से (जैसी भी स्थिति हो) परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आगे और उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी को इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे इन नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) एक अधिकारी को उसकी सीधी पदोन्नति लाइन में उच्च पद की पदोन्नति पर उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसने निचले राजपत्रित पद पर पहले ही उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(iii) सरकार चाहे तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी या वर्ग को सम्पूर्ण या आंशिक रूप में विभागीय परीक्षा की छूट दे सकती है ।

आदेश द्वारा,
बी० सी० नेगी,
सचिव ।

कार्यालय आदेश

शिमला–171002, 4 मार्च, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-37/76.–क्योंकि श्री श्रीराम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी सारी, जिला कुल्लू के विरुद्ध सर्व श्रीमती नाथी देवी व चिलकू देवी को अवैध रूप से नौतोड़ भूमि दिलवान के आरोप में समसंख्यक दिनांक 8-12-1982 के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच के आदेश दिए गये थे ;

और क्योंकि उक्त जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की जांच करने से सर्वश्री मती नाथी देवी व चिलकू देवी को भूमि दिलवाने के लिये ग्राम पंचायत कोठी सारी ने सामूहिक रूप से सिफारिश की थी, जिसकी जिम्मेवारी अकेले प्रधान की नहीं मानी जा सकती और न ही नौतोड़ की स्वीकृति के लिए राजस्व विभाग की जिम्मेदारी की अनदेखी की जा सकती;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जहां श्री श्रीराम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी सारी, जिला कुल्लू के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में मामला बन्द करने के सहर्ष आदेश देते हैं वहां उन्हें भविष्य में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए सतर्क रहने का भी आदेश देते हैं ।

शिमला–2, 4 मार्च, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-4/83.–जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी ने सूचित किया है कि श्री जीवन दास, पंच, ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी की मासिक बठकों से दिनांक 18-8-1981 से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं;

और क्योंकि उक्त श्री जीवन दास हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत अपने पद पर बने नहीं रह सकते;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जीवन दास को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराहन के पंच पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर भीतर इस निदेशालय में जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी की मारफत अनिवार्य तौर से प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते।

शिमला–2, 4 मार्च, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5)-13/76.–जिला पंचायत अधिकारी, सोलन ने सूचित किया है कि निम्नलिखित पंचायत पदाधिकारी, ग्राम पंचायत धंगोल, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन 15-9-82 से लगातार ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं:–

1. श्री अजीत सिंह, उप-प्रधान
2. श्री रिखी राम, पंच
3. श्री गीता राम, पंच
4. श्री बाली राम, पंच
5. श्रीमती कमला देवी, पंच,

और क्योंकि उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत उप-प्रधान/पंच के पद पर बने नहीं रह सकते;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सर्वश्री अजीत सिंह, उप-प्रधान, रिखी राम, गीता राम, बाली राम व श्रीमती कमला देवी, पंचों को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका इस सम्बन्ध म उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर भीतर इस कार्यालय में जिला पंचायत अधिकारी की मारफत पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत)।